मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत

संख्या:-4444 /III(2)/11-18(मु0मं0घो0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 04 नवम्बर, 2011

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 03 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों पर टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 33.20 लाख (₹ तैंतीस लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्नक के कॉलम सं0-6 पर अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.25 लाख अर्थात कुल 03 कार्यो हेतु ₹ 0.75 लाख (₹ पिचहत्तर हजार मात्र) का व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मद हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

photo copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
(चमोली)

-2-

i)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 ...त निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया ...गा।

iii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में ...आवश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा ...न्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05– सड़क / भवन / सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत ...र्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

x)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी ...भियन्ता का होगा।

...)– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–...2–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

...3)– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 412 / **XXVII/(2)/2011** दि0: 14 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

महिमा

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:– (1) / III(2) / 11–18(मु0मं0घो0) / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, जनपद चमोली / अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / चमोली / अल्मोड़ा।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम / सप्तम वृत्त, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा, गोपेश्वर।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

photo copy attested

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

पृ0प0 सं0 – 1409 / 20भाग (क) / 11 दि0 16 / 11 / 11

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मुख्य अभि0 (ग0/कु0) क्षे0 लो0नि0वि0 पौड़ी / अल्मोड़ा
02. अधीक्षण अभि0 प्रथम / सप्तम वृत्त लो0नि0वि0 अल्मोड़ा / गोपेश्वर

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

शा० संख्या:- 4444 (1)/ III(2)/11-18(मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 04 नवम्बर, 2011 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	घोषणा संख्या	लम्बाई (किमी0 / मी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05	06
1	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्यालदे में विनोद नदी पर पालपुर में 75मी0 विस्तार का झूला पुल का निर्माण।	544/2011	75 mt	3.75	0.25
2	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्यालदे में विनोद नदी पर कैहड़गांव में 85 मी0 विस्तार का झूला पुल का निर्माण।	544/2011	85 mt	4.25	0.25
3	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र -पिण्डर में ग्राम कस्बीनगर हेतु लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग का विस्तार।	329/2011	2.00	25.20	0.25
	योगः-		2 km + 02 सेतु	33.20	0.75

(कुल ₹ पिचहत्तर हजार मात्र)

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

महिमा
(महिमा)
अनु सचिव

पृ०सं० - 3724 / 45पात्र - 7/ 2011 दि० 28/11/2011

प्रतिलिपि - अधि० अभि० प्रा०ख० लो०नि०वि० थराली को उपरोक्तानुसार कार्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रतिलिपि - बजट / क० अधि० (व्यय) वृत्तीय कार्यालय को संलग्नकों की प्रति सहित अभिलेख हेतु।

30/11/2011

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)